सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-4699/JH/64/2025-RU-IV दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - धनबाद
समाहरणालय भवन, प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद, झारखंड 826001
Email Id: dc-dha@nic.in

विषय: **गरीब, भूमिहीन आदिवासी विधवा महिला को आवास दिलाने के संबंध में – श्रीमती बसंती कुमारी, ग्राम-चुंगी, टोला-रणटाड़, पोस्ट-दलुडीह, थाना-राजगंज, जिला-धनबाद (झारखंड़) का दिनांक 10.02.2025 का पत्र/अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण 19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्रीमती बसंती कुमारी,
ग्राम-चुंगी, टोला-रणटांड़, पोस्ट-दलूडीह,
थाना-राजगंज, जिला-धनबाद,
झारखंड- 828113,
Mobile No: 8521815438

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-4699/JH/64/2025-RU-IV

गरीब, भूमिहीन आदिवासी विधवा महिला को आवास दिलाने के संबंध में – श्रीमती बसंती कुमारी, ग्राम-चुंगी, टोला-रणटाड़, पोस्ट-दलुडीह, थाना-राजगंज, जिला-धनबाद (झारखंड़) के मामले में दिनांक 03.06.2026 को सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 03.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस बोकारो, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

संबंधित अभ्यावेदन श्रीमती बसंती कुमारी, ग्राम–चुंगी, टोला–रणटाड़, पोस्ट–दलुडीह, थाना–राजगंज, जिला–धनबाद (झारखण्ड) द्वारा दिनांक 10.02.2025 के पत्र के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।अपने अभ्यावेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवा महिला हैं तथा उनकी 14 वर्षीय पुत्री उन पर आश्रित है। वे बी.पी.एल. कार्डधारी हैं एवं विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे दैनिक मजदूरी एवं घरेलू कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं।उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि वे भूमिहीन हैं तथा उनके नाम से किसी प्रकार की भूमि अथवा आवास उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में वे किराये के आवास में निवास कर रही हैं। साथ ही, उन्हें अब तक किसी भी सरकारी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अबुआ आवास योजना अथवा अन्य उपयुक्त सरकारी आवास योजना के अंतर्गत स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए।

2. मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दिनांक 10.06.2025 को उपायुक्त, धनबाद को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों की अवधि के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। आयोग के नोटिस के अनुपालन में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

4. मामले में दिनांक 03.06.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार उपायुक्त , जिला -धनबाद (झारखंड) को सिटिंग नोटिस जारी किया गया | अभ्यावेदिका को भी इसकी सूचना दी गई |

5. सुनवाई के दौरान ~~उपायुक्त~~ DPRO, धनबाद उपस्थित रहे व् अभ्यावेदिका अनुपस्थित रही

6. सुनवाई में उपायुक्त, धनबाद ने बताया की मामले के के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाघमारा के पत्रांक 2889 दिनांक 24.12.2025 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि लाभुक सुश्री बसंती कुमारी, पिता- स्व० सोयोंग मरांडी का नाम अबुआ आवास / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतिक्षा सुची में दर्ज नहीं रहने के कारण तत्काल उनको आवास लाभ नहीं दिया जा सकता है। वर्त्तमान में चल रहे योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे में इनका नाम जोड दिया गया है। जिसका ID 174639272 है।

7. **मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है**

I. उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में आयोग स्तर पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।

12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi